भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 485
07/02/2025 को उत्तरार्थ

एमएसपी पर विधिक गारंटी और पीएम-किसान निधि के अंतर्गत राशि को दोगुना किया जाना

485. श्री जावेद अली खानः
श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः
श्री रामजी लाल सुमनः

क्या ***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विगत शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत राशि को दोगुना करने की सिफारिश की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) हाल ही में जारी कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा में कृषि फसलों को एमएसपी देने का कोई उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पीएम-किसान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता को वर्तमान में रु.6000/-से बढ़ाकर रु.12000/- प्रति वर्ष किया जा सकता है और किसानों को दिए जाने वाले मौसम आधारित प्रोत्साहन काश्तकारों और कृषि श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है। डीआरपीएससी ने एक सुदृढ़ और कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी प्रणाली को कार्यान्वित करने की भी सिफारिश की है,जो वित्तीय स्थिरता प्रदान करने,बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करने,ऋण भार को कम करने और किसानों के बीच समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के माध्यम से भारत में किसान आत्महत्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

(ग) और (घ):वर्तमान में,पीएम-किसान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने और पीएम-किसान योजना का लाभ काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को भी उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त,विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ङ) प्रत्येक वर्ष सरकार,संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात,कृषि लागत और मूल्य आयोग(सीएसीपी)की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)निर्धारित करती है।

एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमएसपी की घोषणा के पश्चात सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेंहूँ, धान, मक्का एवम् मिलेट्स सहित मोटे अनाजों के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त,पीएम-आशा की समग्र योजना के अंतर्गत, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद तब की जाती है, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

*****